संख्या-1675/44-1-2010-124/2010

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित
प्रमुख सचिव / सचिव ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2010

विषय :- **दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि।**

महोदय,

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-जी-2-701/दस-2010-301/85 टी0सी0, दिनांक 26 अगस्त, 2010 द्वारा वृद्धि की गई है । उक्त शासनादेश की प्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-1675 (1) /44-1-2010- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
2. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित सचिवालय के प्रशासनिक विभाग ।
3. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को वेबसाइट पर डालने हेतु/प्रबन्ध पत्रिका के प्रकाशनार्थ ।
5. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव ।

संख्या जी–2–701/दस–2010–301/85 टी०सी०

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2010

विषय :– दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–2

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या-जी–2–1012/दस–2001–301–85, दिनांक 8 जून, 2001 द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दरें समूह "ग" कर्मचारियों के लिये रु0 47.50 प्रतिदिन से बढ़ाकर रु0 64.00 प्रतिदिन तथा समूह "घ" कर्मचारियों के लिये रु0 42.50 प्रतिदिन से बढ़ाकर रु0 57.00 प्रतिदिन किये जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किये गये थे कि उक्त बढ़ी हुई दरें कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी तथा उन्हीं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर लागू होंगी जिनकी नियुक्ति दिनांक 17 जुलाई, 1991 के पूर्व की गई हो। उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 08–6–2001 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान में कार्यरत सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वर्तमान पारिश्रमिक की दरों में (वर्तमान महंगाई के परिप्रेक्ष्य में) वृद्धि करते हुए समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए रु0 140.00 प्रतिदिन तथा समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए रु0 120.00 प्रतिदिन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त बढ़ी हुई दरें इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

भवदीय,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव।

संख्या जी–2–701(1)/दस–2010–305/85 टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2–विधान सभा एवं विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,।
4–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5–प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
6–गार्ड फाईल।

सरयू प्रसाद मिश्र,
उप सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 77 सा० वित्त–2010–(1093)–1000+2 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।